SPICES BOARD
(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

परिपत्र सं. :11/2023-24 3 नवंबर, 2023

विषय: कतर द्वारा निर्धारित आयातित खाद्य पदार्थों के लिए विनियामक अपेक्षाएँ/ उपाय

******

यह बताया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय और नगर पालिका मंत्रालय, कतर राज्य ने 'कुछ आयातित खाद्य पदार्थों के लिए निवारक अपेक्षाएँ/उपाय और उनके समर्थन' (अनुलग्नक I के रूप में संलग्न) शीर्षक वाले नोटिस के माध्यम से यह निर्धारित किया है कि, भारत से कतर राज्य को निर्यात किए जाने वाले सभी प्रकार के मसालों के साथ मूल देश (भारत) के तीसरे पक्ष के प्री-शिपमेंट निरीक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त कंपनियों में से एक द्वारा जारी अनुरूपता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। Link:https://www.moph.gov.qa/english/departments/healthaffairs/foodsafety/portshealthnfoodcontrol/Pages/default.aspx

उपरोक्त उल्लिखित सूचना के अनुसार, 15 नवंबर, 2023 से भारत से निर्यात किए जाने वाले सभी परेषण के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त कंपनियों द्वारा जारी एक अनुरूपता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

इस संबंध में, कतर को मसाले एवं मसाला उत्पादों के निर्यात करने वाले सभी निर्यातकों से सलाह दी जाती है कि वे आयातित खाद्य सामान के लिए कतर द्वारा निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं/उपायों पर ध्यान दें और इन अपेक्षाओं के अनुपालन सुनिश्चित करने लिए यथोचित परिश्रम करें।

निदेशक (विपणन)

सेवा में
मसाले एवं मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

(फाइल सं.:एमकेटी-ईएनक्यू-डीजी/0001/2018-विपणन - 13757)